15889/2021/OL

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मृतकों के अधिकारों की रक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए परामर्शी

I. पृष्ठभूमि

भारत में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि, अदालतों ने मृतकों की गरिमा को बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे बार-बार दोहराया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1989 में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामलें में माना कि जीवन का अधिकार, उचित उपचार और गरिमा, न केवल जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि उसके मृत शरीर के लिए भी लागू है। ये अधिकार उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, मरणोपरांत कानूनी अधिकारों की मान्यता मृत लोगों को हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण नैतिक स्थिति प्रदान करती है। कानून एक मृतक की इच्छाओं का सम्मान करने और उसके हितों की रक्षा करने का भी प्रयास करता है।

प्राकृतिक या अप्राकृतिक (दुर्घटना, आत्महत्या, मानव हत्या, आदि) दोनों तरह की मौतों में, मृतक के अधिकारों की रक्षा करना और मृत शरीर पर अपराध को रोकना राज्य का कर्तव्य है। यह भी आवश्यक है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सभी हितधारकों के साथ परामर्श से एक एसओपी तैयार करें ताकि मृतकों की गरिमा सुनिश्चित की जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। हितधारकों में अस्पताल प्रशासन, पुलिस, फॉरेंसिक मेडिसिन कर्मी, जिला प्रशासन, नगर निगम, सिविल सोसाइटी समूह के साथ-साथ देश के नागरिकों को भी शामिल किया जा सकता है।

क. अंतरराष्ट्रीय ढ़ांचा

मानव गरिमा सभी अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के मूल में है। कुछ अंतरराष्ट्रीय अनुबंध और कानून जो विशेष रूप से मृतकों की गरिमा से संबंधित हैं, नीचे दिए गए हैं:

1. **जिनेवा कन्वेंशन 1949 IV का अनुच्छेद 16 (द्वितीय पैराग्राफ)** के अनुसार, "जहां तक सैन्य विचार की अनुमति है, संघर्ष में शामिल प्रत्येक पक्ष के मारे गए लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को सुगम बनाना चाहिए"।

2. इस्लाम में मानव अधिकारों पर 1990 काहिरा घोषणा का अनुच्छेद 3 (क) के अनुसार, "बल के उपयोग की स्थिति में और सशस्त्र संघर्ष के मामले में - यह शवों को क्षत-विक्षत करने से निषिद्ध करता है"।

3. 2005 में अपनाए गए एक प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग ने मानव अवशेषों की गरिमापूर्ण निगरानी के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें उनके उचित प्रबंधन और निपटान के साथ-साथ परिवारों की आवश्यकताओं का सम्मान भी शामिल है।

4. मानव अधिकारों और प्राकृतिक आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी स्थायी समिति के परिचालन दिशा-निर्देश अनुशंसा करते है कि मानव अवशेषों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। भविष्य में पहचान के लिए मानव अवशेषों की रिकवरी की संभावना के लिए उपायों की अनुमति देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो फिर से दफनाना चाहिए।

5. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (चौथे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 130(1)) यह प्रदान करता है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, "कब्रों का सम्मान किया जाए, उनका उचित रखरखाव किया जाए और उन्हें इस तरह से चिह्नित किया जाए कि वे हमेशा पहचानी जा सकें"।

ख. राष्ट्रीय ढ़ांचा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की गांरटी देता है, जो गरिमा के अधिकार सहित व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को शामिल करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा यह अधिकार मृत व्यक्तियों के लिए भी लागू किया गया है।

1. उच्चतम न्यायालय के मामले

i. उच्चतम न्यायालय ने **परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989** (डब्ल्यू. पी. (आपराधिक) संख्या 270/1998, एससीसी (4) 286) मामले में मृत व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उच्चतम न्यायालय द्वारा **आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत संघ, 2002** (डब्ल्यू. पी. (सी) 143/2001) के मामले में इसे फिर से दोहराया गया था कि मृतकों की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसने बेघर मृत व्यक्ति को धार्मिक रीति-रिवाजों, जिससे उसका संबंध है, के अनुसार एक गरिमापूर्ण तरीके से दाह संस्कार करने का अधिकार दिया, इसने राज्य पर एक समान कर्तव्य भी स्थापित किये ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि व्यक्ति का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए।

ii. पी. रथिनम बनाम भारत संघ, 1994 (एससीसी (3) 394) में, एक व्यक्ति की गरिमा को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया था। इसने इस बात पर जोर दिया कि जीवन के अधिकार का अर्थ एक सार्थक जीवन है और केवल पशु अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा, गरिमा के इस अधिकार का विस्तार एक मृत व्यक्ति के लिए भी किया।

2. उच्च न्यायालयों के मामले

i. मद्रास उच्च न्यायालय ने **एस. सेथु राजा बनाम मुख्य सचिव, 2007** (डब्ल्यू. पी. (एमडी) संख्या 3888/2007) के मामले में सरकारी अधिकारियों को मलेशिया से शव लाने का निर्देश दिया ताकि परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार उसको घर पर दफनाया जा सके।

ii. **रामजी सिंह और मुजीब भाई बनाम यू. पी. और अन्य, 2010** ((पीआईएल) संख्या 38985/2004) - इस मामलें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार में शव के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है जिसका वह हकदार होता, यदि वह जिंदा होता। राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह शव के साथ गरिमा से व्यवहार करे, और यदि आवश्यक हो तो ही पोस्टमॉर्टम का सहारा लेना चाहिए।

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत प्रावधान : आईपीसी, 1860 के तहत, मृत व्यक्तियों के अधिकारों में धारा 297 के तहत कब्रिस्तानों, अंतिम संस्कार के स्थानों आदि के अतिचार के विरूद्ध अधिकार; धारा 404 के तहत संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग एवं परिवर्तन के विरूद्ध अधिकार; धारा 499 के तहत मानहानि के विरूद्ध अधिकार और धारा 503 के तहत आपराधिक धमकी के विरूद्ध अधिकार शामिल हैं।

4. मानव अंगों और ऊत्तकों का प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 : THOTA मानव अंगों और ऊत्तकों में व्यावसायिक व्यवहार को रोकने के लिए और साथ ही साथ इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए मानव अंगों और ऊत्तकों के हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है। THOTA एक मृत व्यक्ति को उसकी सहमति या निकट संबंधियों की सहमति के बिना शव से मानव अंगों या ऊत्तकों या दोनों को काटे/निकाले जाने से बचाने और संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है।

II. मृतक के अधिकारों की रक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए बुनियादी सिद्धांत

1. **शव के साथ व्यवहार में किसी भी रूप में भेदभाव नहीं :** यह सुनिश्चित करने के लिए कि धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग आदि के भेद-भाव के बिना मृत शरीर को उचित प्रकार से संरक्षित एवं संभाल की जानी चाहिए।

2. **कोई शारीरिक शोषण नहीं :** मृतक के शरीर का किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण मृत व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

3. **सभ्य और समय पर दफन/दाह संस्कार :** मृत व्यक्ति को एक सभ्य और समय पर दफन/दाह संस्कार का अधिकार है।

4. **अपराध के कारण मृत्यु होने पर न्याय प्राप्त करना :** मृतक को उन मामलों में न्याय प्राप्त करने का अधिकार है जहां अपराध के कारण उसकी मृत्यु होती है।

5. **कानूनी वसीयत को पूरा करना :** मृतक द्वारा छोड़ी गई वसीयत, यदि कोई हो, का सम्मान और आदर किया जाना चाहिए।

6. **मृत्यु के बाद कोई मानहानि नहीं :** मृतक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए प्रयास या प्रकाशित किसी भी प्रकार के बयान या दृश्य प्रस्तुतीकरण द्वारा बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

7. **निजता का उल्लंघन नहीं :** मृत व्यक्ति को निजता का अधिकार है, यानी किसी की निजता के बारे में सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार।

III. मृतक के अधिकारों की रक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

1. नागरिकः

i. **सूचित करने का कर्तव्य :** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह मृत्यु की किसी भी घटना को देखने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन और/या आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं या प्रशासनिक/कानूनी अधिकारियों को, जो भी संभव हो, सूचित करें।

ii. **जुलूस निकालना :** नागरिकों को अपनी मांगों आदि को पूरा करने के लिए शवों को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

2. अस्पताल प्रशासन :

i. **शव के कपड़े :** शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक द्वारा मृतक के कपड़ों को एकत्र, जांच के साथ-साथ संरक्षित और सील कर दिया जाना चाहिए, और संबंधित फॉरेंसिक

विज्ञान प्रयोगशाला में आगे की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, इसे उचित परिवहन के लिए विशेष बॉडी बैग में कवर किया जाना चाहिए।

ii. **लावारिस शवों का रख-रखाव :** शवों की किसी भी क्षय या क्षति को रोकने के लिए लावारिस शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित परिस्थितियों में संग्रहित किया जाना चाहिए।

iii. **शवों का पृथक्करण और व्यवस्था :** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शवों को लिंग के आधार पर अलग किया गया हो और ढेर से बचने के लिए सम्मानजनक तरीके से रखा गया हो।

iv. **शवों की सौंपना :** अस्पताल प्रशासन को लंबित बिलों के भुगतान के आधार पर किसी भी शव को जानबूझकर रखने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अस्पतालों को शव को मृतक के परिवार को या नागरिक निकाय (यदि वह एक लावारिस शव है) को गरिमापूर्ण तरीके से सौंपना चाहिए।

v. **लावारिस शवों के उपयोग के लिए लाइसेंस :** अस्पताल जो मेडिकल छात्रों के शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए लावारिस शवों का उपयोग करते है, उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए।

3. चिकित्सा व्यवसायी:

i. **आईसीएमआर के नैतिक दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन :** सभी चिकित्सकों को दावा किए गए शवों के साथ-साथ लावारिस शवों से निपटने के दौरान आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।

ii. **मृत्यु की घोषणा :** मृत्यु के बाद, डॉक्टर द्वारा आधिकारिक तौर पर बिना किसी देरी के घोषित किया जाना चाहिए।

4. फॉरेंसिक विभाग और चिकित्सक :

i. **प्रशिक्षित और योग्य पेशेवर :** फॉरेंसिक चिकित्सा में केवल प्रशिक्षित और योग्य पेशेवर को ही शव की परीक्षण प्रक्रिया करनी चाहिए और अनुचित उपकरणों जैसे हथोड़ा आदि के उपयोग से बचना चाहिए।

ii. **पोस्टमॉर्टम परीक्षण की वीडियो-फिल्मांकन और फोटोग्राफी :** हिरासत में मृत्यु के मामले में जहां पोस्टमॉर्टम परीक्षण की आवश्यकता होती है, वहां वीडियो-फिल्मांकन और फोटोग्राफी के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

iii. **परिवार को शव सौंपना :** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवार/रिश्तेदारों को शव सौंपने के दौरान मृतक की बाहरी दिखावट और शरीर पर लगे चीरों को कपड़े से छिपाया जाना चाहिए।

iv. **समय पर पोस्टमॉर्टम :** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोस्टमॉर्टम की जांच बिना किसी देरी के की जाए ताकि अंतिम संस्कार की व्यवस्था में देरी न हो।

v. **व्यक्तिगत और आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण :** डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से प्राप्त आनुवांशिक डेटा को सावधानीपूर्वक और गोपनीय रूप से संभाला जाना चाहिए क्योंकि लावारिस शवों की पहचान का पता लगाने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए, मौजूदा कानूनों के अनुसार, लावारिस शवों के आनुवांशिक डेटा और जैविक नमूनों को संग्रहीत करने के लिए डेटा बैंकों को संभालकर रखा जाना चाहिए।

5. शवगृह सेवाएं :

i. **शवगृह की स्वच्छता :** शवगृह में नियमित रूप से झाड़ू एवं पौंछा लगाकर सफाई की जानी चाहिए ताकि मृत शरीर को उचित, स्वच्छ वातावरण में रखा जा सके, जिससे उसकी गरिमा बनी रहें।

ii. **सुरक्षित जानकारी :** नैदानिक रिकॉर्ड की गोपनीयता की सुविधा को बनाए रखना चाहिए और मृतक से संबंधित जानकारी के रख-रखाव के लिए एक तंत्र होना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए जो कलंकित हो और जिनकी सामाजिक तौर पर आलोचना की जाती है, जैसे कि एचआईवी और आत्महत्या के मामले।

iii. **परिसर की गोपनीयता बनाए रखना :** पोस्टमॉर्टम कक्ष को आम/सार्वजनिक/आगंतुकों के सीधे दायरे में नहीं आना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, पोस्टमॉर्टम कक्ष में पर्दे, स्क्रीन का प्रावधान किया जाना चाहिए या बफर क्षेत्र बनाया जा सकता है।

iv. **भौतिक/अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करना :** निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित सेवाओं के वितरण के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा होनी चाहिए। शवों के प्रबंधन के लिए जिला अस्पतालों में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना और बनाए रखा जाना चाहिए।

v. **कर्मचारियों का संवेदीकरण :** शवगृह प्रशासन समय-समय पर कर्मचारियों को शवों को संभालने के लिए प्रशिक्षित करने और मृतक के परिचारकों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए संवेदनशील बना सकते है।

6. सरकारें :

क. केन्द्र / राज्य सरकार :

i. **आंकड़ों का डिजिटलीकरण :** प्रत्येक राज्य को मौतों के मामले में जिले वार डिजिटल डेटासेट बनाए रखना चाहिए। पहचाने गए और लावारिस शवों, दोनों के लिए डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील वेब पोर्टल बनाया जाना चाहिए और इस तरह के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

ii. किसी भी प्रतिरूपण या अवैध मौद्रिक लेनदेन लाभ के दायरे को प्रतिबंधित करने के लिए, **किसी व्यक्ति की मृत्यु की डिजिटल पुष्टि** को सभी दस्तावेजों जैसे बैंक खाता, आधार कार्ड, बीमा आदि, जहां भी लागू हो, में एक साथ अद्यतन किया जाना चाहिए।

iii. **24X7 हेल्पलाइन :** जब भी कोई आपदा या विपदा या बड़ी दुर्घटना होती है, जिससे परिवार से दूर रहने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार को मृत व्यक्तियों के परिवारों को शव सौंपने में मदद करने या मृतक के शरीर के साथ कोई अनैतिक व्यवहार जैसे कि मारपीट या कोई अमानवीय आचरण के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए 24X7 हेल्पलाइन बनानी चाहिए।

iv. **आंशिक शव परीक्षण तरीकों को चुनना :** सरकार/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग उन मामलों में आंशिक शव परीक्षण का तरीका अपनाने पर विचार कर सकता है जहां पूर्ण शव परीक्षण आवश्यक नहीं है, शव परीक्षण के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकों की व्यवस्था, विशेषज्ञों और फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण संचालित किए जाने चाहिए।

v. पोस्टमार्टम के लिए उपकरणों की उपलब्धता : राज्य को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के लिए सभी फोरेंसिक दवा विभागों में मानकीकृत उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

vi. एसओपी तैयार करना : राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रथाओं, अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों आदि को ध्यान में रखते हुए, मृतकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकतानुसार अपने स्वयं के एसओपी बनाने चाहिए।

ख. स्थानीय शासन/प्रशासन :

i. शव का उचित समापन सुनिश्चित करना : शव के कानूनी वारिस की पहचान न होने और इसे उचित अंत्येष्टि से वंचित करने की स्थिति में स्थानीय शासन/नागरिक निकाय को पोस्टमार्टम आदि की भांति, कानूनी प्रक्रिया के बाद शव के उचित समापन को सुनिश्चित करना चाहिए।

ii. **मृतकों द्वारा अंगदान :** इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि मृतकों के अंगदान करने की इच्छा को उसके कानूनी वारिस की राय का ख्याल किए बिना अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए।

iii. **कब्रिस्तान/शमशानों का रख-रखाव :** राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शमशानों, कब्रिस्तान, विद्युत शमशानों की स्थिति को प्रभावी ढंग से कार्यरत रहने के लिए बनाए रखा जाए।

iv. **विद्युत दाह संस्कार विधि को प्रोत्साहित करना :** पर्यावरण अनुकूलित दाह संस्कार कार्य जैसे विद्युत शमशानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है इससे मौजूदा कब्रिस्तान/शमशानों का भार भी कम होगा।

v. **आवधिक निरीक्षण :** स्थानीय सरकारी संस्थाओं को स्थानीय अस्पतालों में यह सुनिश्चित करने के लिए दौरा करना चाहिए कि दावाकृत अथवा लावारिस शवों के प्रबंध के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो।

vi. **शवों का परिवहन :** स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर मृतक के शरीर को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

vii. **अज्ञात शवों के मामले में :** अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए सम्मान और गौरव के साथ किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित आवश्यक निधि को पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा सकता है।

viii. **डाटाबेस का रख-रखाव :** स्थानीय शासन/मृत्यु जिला रजिस्ट्रार को जिले में हुई मौतों का डाटाबेस बनाए रखना चाहिए।

7. पुलिस :

i. **पोस्टमार्टम में कोई देरी नहीं :** पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाने और शव को पोस्टमार्टम जांच-पड़ताल के लिए भेजने में कोई देरी न हो। शवों को अस्पताल प्रशासन को भेजना और पूर्ण कानूनी जांच फार्म जमा करना निर्धारित समय अवधि के भीतर होना चाहिए।

ii. **शवों को संभालना :** ऐसे मामलों जहां मृत्यु अग्नि दुर्घटनाओं, आत्मदाह, हत्या, यौन अपराधों, हिरासत मृत्यु, आत्महत्या, सड़क और अन्य दुर्घटनाओं के कारण होती है, मृतक के शरीर को सम्मान के साथ संभाला, ढका जाना चाहिए और शव परीक्षण प्रक्रिया के लिए तुरंत मोर्चरी भेजा जाए।

iii. **शवों की पहचान :** शवों की पहचान के लिए, यूनिक बॉडी कोड लेबलिंग, तकनीकी फोटो, शवों से अन्य डाटा पुलिस रिकॉर्ड के अंतर्गत संग्रहित और एकत्र किए जा सकते हैं और साथ ही शव को परिवार को हस्तांतरित किया जा सकता है।

iv. **बॉडी बैग्स और बेसिक फोरेंसिक किट की उपलब्धता :** अगर यह हत्या/दुर्घटना/अप्राकृतिक मृत्यु का मामला है तो 'शरीर की शुद्धता' बनाए रखने और घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस थानों में बॉडी बैग और बेसिक फोरेंसिक किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

v. **शवों को मोर्चरी में रखना :** यह सुनिश्चित किया जाए कि शव 72 घण्टे से अधिक समय तक मोर्चरी में न रहें। अज्ञात शव के मामले में, पुलिस को इसकी पहचान के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास करने चाहिए और उसके अनुसार गरिमापूर्ण ढंग से निपटान किया जाना चाहिए।

vi. **फोटोग्राफी :** पोस्टमार्टम जांच-पड़ताल की वीडिया फिल्मिंग और फोटोग्राफी, फोरेंसिक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

8. जेल :

i. **हवालात में मृत्यु :** जेल के अन्दर मृत्यु के मामले में, धारा 176 (1ए) सीआरपीसी के तहत, जेल अधिकारी मौत के कारण की न्यायिक जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रट को सूचित करेंगे और साथ ही मृतक के परिवार को भी सूचित किया जाना चाहिए।

ii. **सम्मानजनक व्यवहार:** हवालात में मृत्यु के मामले में, शव को बिना किसी देरी के शव परीक्षण प्रक्रिया के लिए फोरेंसिक विभाग/अस्पताल भेजने के दौरान सम्मानजनक तौर-तरीके से संभाला व ढका जाना चाहिए।

9. परिवार :

i. **अंगों, ऊतकों अथवा कोशिकाओं का दान :** यदि मृतक ने अंगों, ऊतकों अथवा कोशिकाओं के दान की सहमति दी थी तो उसे सम्मान दिया जाना चाहिए और तदनुसार उसका पालन किया जाना चाहिए।

ii. **मृत्यु पंजीकरण :** किसी व्यक्ति की मौत का उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा जल्द-से-जल्द पंजीकरण कराया जाना चाहिए ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के लाभ का दावा करने के लिए उसकी पहचान को किसी भी प्रकार के दुरूपयोग से बचाया जा सके।

10. मीडिया :

i. **निजता और गरिमा का अधिकार :** सोशल मीडिया सहित मीडिया को शवों की स्पष्ट तस्वीरें या वीडियो को आम जनता को दिखाने से बचना चाहिए और जहां भी शव दिखाया जाता है वहां मास्किंग तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मृतक की निजता और गरिमा के अधिकार से समझौता नहीं किया जाता है।

ii. **सिविल सोसायटी संगठन और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओएस) :** सीएसओ/एनजीओ को लावारिस और दावा विहीन शवों के सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना चाहिए।

iii. **कोविड-19 और मृतकों का अधिकार :** 9 मई, 2021 तक, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण 32,96,841 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि भारत में इस घातक वायरस के कारण 2,42,398 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल पालन के तहत शवों के प्रबंधन की प्रक्रिया, शवों की ढुलाई और उनके दफन अथवा दहन आदि चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। डब्ल्यूएचओ, एनडीएमए, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संबंधित धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि सहित मृतकों की गरिमा कायम रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के रख-रखाव पर जोर दिया है। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस महामारी के दौरान मृतकों को उचित ढंग से दफनाने पर महत्व दिया है। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद, मीडिया से विभिन्न परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने कोविड-19 प्रभावित शवों के कुप्रबंधन/छेड़छाड़ के विषय में बताया है जिससे उनकी गरिमा कम हो रही है।

उच्च न्यायालयों के निर्णय :

i. 27 जुलाई, 2020 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार और नागरिक निकाय बृहत बंगलूरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) मृतकों के गरिमा सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश लाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कर्नाटक की राज्य सरकार को शवों के उचित दफन/दाह संस्कार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के तुरन्त बाद, कर्नाटक राज्य सरकार ने 29.07.2020 को कोविड-19 के दौरान शवों के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

ii. 16 सितम्बर, 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय, विनीत रूइया बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मामले में पश्चिम बंगाल और अन्य (2020 का डब्ल्यूपी संख्या 5479 (डब्ल्यू) का दृढ विचार था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

गरिमा और निष्पक्ष उपचार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि निधन के बाद उसके नश्वर अवशेषों के लिए भी उपलब्ध है। चाहे वह व्यक्ति कोविड-19 से मरता है या नहीं, चाहे उसे दफन किया जाए उसका दाह संस्कार किया जाए, मानव शरीर का समापन उचित सम्मान एवं पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए।

iii. 27 अप्रैल, 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय और समीर अहमद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले में (2020 का डब्ल्यूपी पीआईएल संख्या 56 और 58) : कोर्ट ने कहा कि 'मानव शरीर के साथ उस प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं। स्थान की कमी और उचित सुविधाओं और मानव शक्ति की अनुपलब्धता में शवों को अंतिम संस्कार के लिए लादा जा रहा है। राज्य सरकार से शमशान की क्षमता और संख्या का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

सिफारिशें :

1. **मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशिष्ट कानून बनाना :** मृतकों की गरिमा को बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है।

2. **अस्थाई शमशान व्यवस्था :** शमशानों में शवों की लम्बी कतार और कोविड मौतों की बड़ी संख्या को देखते हुए, शमशान में अनुचित देरी से बचने के लिए शीघ्र अस्थाई व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. **शमशानों/कब्रिस्तानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का सेनिटाइजेशन :** शवों को संभालने के दौरान शवों की गरिमा बनाए रखने के क्रम में शवों के उचित संचालन में शमशान / कब्रिस्तान के कर्मचारियों का सेनिटाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है ताकि वे बिना किसी डर अथवा खतरे के अपने कर्तव्य को पूरा कर सके।

4. **अंतिम संस्कार करना :** धार्मिक अनुष्ठानों, जिनमें शव को छूना अनिवार्य न हो, धार्मिक लिपियां पढ़ने एवं पवित्र जल छिड़कने आदि की अनुमति दी जा सकती है।

5. **ऐसे मामले में जहां परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने की स्थिति में न हों :** जहां परिवार के सदस्य या रिश्तेदार अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं होते हैं चूंकि वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं या संक्रमित होने के डर से इच्छुक नहीं हों, अथवा परिवार के लिए शव का प्रत्यावर्तन संभव न हो ऐसे मामलों में राज्य/स्थानीय प्रशासन धार्मिक/सांस्कृतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर शव का अंतिम संस्कार कर सकता है।

6. **विद्युत शमशानों के उपयोग को प्रोत्साहन :** बड़ी संख्या में चिताएं जलाने से निकलने वाले धुंए से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए विद्युत शमशानों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7. **शवों का ढेर :** परिवहन के दौरान या किसी भी स्थान पर शवों का ढेर नहीं होने देना चाहिए।

8. **सामूहिक अंत्येष्टि/दाह संस्कार :** सामूहिक अंत्येष्टि/दाह संस्कार की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे मृतकों की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होता है।

9. **उचित पहचान और सूचना :** पहचान के लिए विभिन्न मानदंड के उपयोग का लक्ष्य शव की यथार्थ पहचान करना होना चाहिए और राज्य अधिकारियों को मृत और आपदाओं में लापता लोगों के बारे में उचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।

10. **एम्बुलेंस शुल्क की मनमानी वृद्धि पर अंकुश लगाना :** शवों के परिवहन के लिए मनमाने ढंग से बढ़ोतरी/ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए; हार्स/एम्बुलेंस सेवाओं की कीमत को विनियमित किया जाना चाहिए ताकि शवों के परिवहन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और लोगों का शोषण न हो।

11. **शवों को संभालने वाले कर्मचारी का संरक्षण एवं उचित भुगतान दिया जाना चाहिए :** चूंकि शमशान, कब्रिस्तान, मुर्दाघर आदि के कर्मचारी महामारी की इस लहर के दौरान चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी कड़ी मेहनत की भरपाई के लिए उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राथमिकता के आधार पर जोखिम को ध्यान में रखते हुए उनका टीकाकरण होना चाहिए।

* * * * *